

अनुसूची-17

अनुसूचियां, जो 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लेखा का भाग हैं

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. सामान्य

- क) वित्तीय विवरणियां हिस्टोरिकल लागत तथा गतिमान प्रतिष्ठापन अवधारणा के आधार पर तैयार की गई हैं और देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और पद्धतियों, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, के अनुरूप हैं।
- ख) राजस्व और व्यय को, सामान्यतया उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है। तथापि, प्राप्त/प्रदत्त कमीशन, लॉकर किराया, वाद दायर खातों पर कानूनी व्यय और इनमें हुई वसूली, गैर-निष्पादकारी आस्तियों पर आय, विनिधान पर लाभांश, अतिदेय बिलों आवास ऋणों पर प्रदत्त बीमा प्रीमियम तथा कर-वापसी पर ब्याज को नकद आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- ग) अतिदेय जमा राशियों पर ब्याज का प्रावधान बचत बैंक दर पर किया गया है और शेष को नवीकरण के समय हिसाब में लिया गया है।

2 विदेशी मुद्रा लेन-देन

- क) मौद्रिक आस्तियां और देयताएं, वित्त वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा सूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित की गई हैं और इससे हुए लाभ/हानि को राजस्व में ले जाया गया है।
- ख) आय तथा व्यय मदों को लेन-देन की तारीख को प्रवृत्त विनिमय दरों पर हिसाब में लिया गया है।
- ग) वायदा विनिमय संविदाओं तथा बिलों को, वायदे की तारीख को प्रभावी विनिमय दर पर लिया गया है। बकाया विदेशी मुद्रा संविदाओं और बिलों का पुनर्मूल्यांकन फेडाई की दरों के अनुसार किया गया है और परिणामतः हुए लाभ/हानि को राजस्व में लिया गया है।
- घ) वित्त वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा गारंटियों, स्वीकृतियों, परांकनों तथा अन्य देयताओं का उल्लेख फेडाई दरों पर किया गया है।

3. विनिधान

क) वर्गीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के विनिधानों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है

- (i) परिपक्वता तक धारित (परिपक्वता तक धारित किए जाने हेतु आशयित विनिधान)
- (ii) व्यापार हेतु धारित (अभिग्रहण की तिथि से 90 दिन के भीतर बिक्री हेतु धारित विनिधान)
- (iii) बिक्री हेतु उपलब्ध (उपर्युक्त (i) व (ii) में वर्गीकृत न किए गए विनिधान) तथापि, तुलन-पत्र में प्रकटीकरण हेतु, विनिधानों को निम्नलिखित शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया है (क) सरकारी प्रतिभूतियां (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (ग) शेयर (घ) डिबेंचर एवं बाण्ड (ङ) अनुषंगी/संयुक्त उद्यम तथा (च) अन्य

ख) मूल्यांकन

परिपक्वता तक धारित:

1. "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत विनिधानों को अभिग्रहण

SCHEDULE -17

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2010

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. GENERAL

- a) The financial statements are prepared on historical cost convention, on a going concern basis and conform to the statutory provisions and practices prevailing in the country except as otherwise stated.
- b) Revenue and expenses have generally been accounted for on accrual basis. However, commission received / paid, locker rent, legal expenses for suit filed accounts and recoveries there against, income on non-performing assets, dividend on investments, interest on overdue bills, insurance premium paid on Housing Loans and interest on tax refunds are accounted for on cash basis.
- c) The interest on overdue deposits is provided for at the Saving Bank Deposit Rate and the balance is accounted for at the time of renewal.

2. FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS

- a) Monetary assets and liabilities are revalued at exchange rates advised by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) at the close of the financial year and the resultant gain/loss is taken to revenue.
- b) Income and expenditure items are accounted for at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.
- c) Forward exchange contracts and bills are translated at the exchange rates prevailing on the date of commitment. Outstanding foreign exchange contracts and bills are revalued as per FEDAI rates and the resultant gain/loss is taken to revenue.
- d) Foreign currency guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at FEDAI rates as at the close of the financial year.

3. INVESTMENTS

a) Classification:-

In accordance with RBI guidelines, investments are classified into three categories.

- i) Held to Maturity (Investments intended to be held till maturity)
- ii) Held for Trading (Investments held for sale within 90 days from the date of acquisition)
- iii) Available for Sale: (Investments not classified in (i) and (ii), above.) However, for disclosure in the Balance Sheet, Investments are classified under the following heads. (a) Government Securities (b) Other Approved Securities (c) Shares (d) Debentures and Bonds (e) Subsidiaries / Joint Ventures and (f) Others.

b) Valuation:

Held to Maturity: -

- i. Investments under "Held to Maturity" category are carried at



लागत पर लिया गया है। जहां बही मूल्य, अंकित मूल्य/प्रतिदेय मूल्य से अधिक है वहां प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की अवशिष्ट अवधि में किया गया।

2. संयुक्त उद्यम में विनिधानों को, अस्थायी स्वरूप के विनिधानों को छोड़कर, रखाव लागत घटा मूल्य ह्रास, यदि कोई हो, पर मूल्यांकित किया गया है।
3. जोखिम पूँजी में विनिधान रखाव लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु धारित

1. भारत सरकार की प्रतिभूतियां	निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा दी गई कोटेशन के अनुसार बाजार मूल्य पर
2. राज्य विकास ऋण/अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	एफआईएमएमडीए के मार्गनिर्देशों के अनुसार परिपक्वता पर होने वाली उपयुक्त आय के आधार पर
3. राजकोषीय बिल और वाणिज्यिक पत्र	रखाव लागत पर
4. ईक्विटी शेयर	(i) कोट किए गए : बाजार मूल्य पर (ii) कोट न किए गए : जहां नवीनतम तुलन-पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) उपलब्ध है, अवशिष्ट मूल्य पर अन्यथा प्रति कम्पनी 1/- रुपए
5. अधिमानी शेयर	(i) कोट किए गए : बाजार मूल्य पर (ii) कोट न किए गए : परिपक्वता पर होने वाली उपयुक्त आय पर
6. डिबेंचर/बाण्ड	(i) कोट किए गए : बाजार मूल्य पर (ii) कोट न किए गए : रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग के आधार पर परिपक्वता पर उपयुक्त आय पर
7. म्यूचुअल फंड के यूनिट	(i) कोट किए गए : बाजार मूल्य पर (ii) कोट न किए गए : पुनखरीद मूल्य/निवल आस्ति मूल्य पर
8. इन्दिरा विकास पत्र	अभिग्रहण लागत पर
9. असेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी ऑफ इंडिया लि. (एआरसीआईएल) की प्रतिभूति रसीदें	एआरसीआईएल द्वारा घोषित आस्ति के निवल आस्ति मूल्य पर

बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु धारित श्रेणी में उपर्युक्त मूल्यांकन शेयरवार किया गया है तथा प्रत्येक वर्गीकरण हेतु मूल्यह्रास/मूल्यवृद्धि को जोड़ा गया है। प्रत्येक वर्गीकरण के लिए निवल वृद्धि को छोड़ते हुए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया गया है।

- ग) प्रतिभूतियों के एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण को, अंतरण की तारीख को अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर लिया गया है। ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का पूरा प्रावधान किया गया है।
- घ) भारतीय रिजर्व के पास तरलता समायोजन सुविधा के तहत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों को विनिधान खाते में नामे/जमा किया गया और संव्यवहार की परिपक्वता पर इसे प्रत्यावर्तित कर दिया गया। उस पर अपचित/अर्जित ब्याज को व्यय/राजस्व के रूप में हिसाब में लिया गया।

ड) अन्य

- (i) अभिग्रहण लागत में से अभिदान पर प्राप्त दलाली/कमीशन को घटा

acquisition cost. Wherever the book value is higher than the face value / redemption value, the premium is amortized over the remaining period of maturity.

- ii. Investments in joint venture are valued at carrying cost less diminution, in value, if any, other than temporary in nature.
- iii. Investment in venture capital is valued at carrying cost.

Available for Sale and Held for Trading

1. Government of India Securities	At market prices as per quotations published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA).
2. State Development Loans/Other Approved Securities	At appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines.
3. Treasury Bills and Commercial Papers	At carrying cost.
4. Equity Shares	(i) Quoted: At market price. (ii) Unquoted: At break up value, where latest balance sheet is available (not more than one year old), otherwise at Re. 1/- per company.
5. Preference Shares	(i) Quoted: At market price. (ii) Unquoted: On appropriate yield to maturity.
6. Debentures / Bonds	(i) Quoted: At market price. (ii) Unquoted: At appropriate yield to maturity based on rating assigned by Rating Agencies.
7. Units of Mutual Funds	(i) Quoted: At market price. (ii) Unquoted: At repurchase price/ Net Asset Value.
8. IVPs	At acquisition cost.
9. Security receipts of Asset Reconstruction Company of India Ltd. (ARCIL)	At net asset value of the asset as declared by ARCIL.

The above valuation in category of Available for Sale and Held for Trading are done scrip wise and depreciation / appreciation is aggregated for each classification. Net depreciation for each classification, if any, is provided for while net appreciation is ignored

- c) Transfer of securities from one category to another is accounted for at the least of acquisition cost / book value/ market value on the date of transfer. The Depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.
- d) Securities purchased/sold under Liquidity Adjustment Facility (LAF) with RBI are debited/credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended/earned thereon is accounted for as expenditure/ revenue.

e) Others:

- i) Brokerage/commission received on subscription is deducted

दिया गया है।

- (ii) प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री पर खंडित अवधि के प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है।
- (iii) विनिधानों पर, गैर निष्पादनकारी विनिधानों के वर्गीकरण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण प्रतिमान लागू किए गए हैं तथा गैर निष्पादनकारी प्रतिभूतियों के संबंध में उपयुक्त प्रावधान किया गया है।
- (iv) किसी भी श्रेणी के विनिधान में बिक्री पर हुए लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है। तथापि, “परिपक्वता तक धारित” श्रेणी के तहत विनिधानों की बिक्री पर लाभ होने पर समान राशि को पूंजी आरक्षित निधि खाते में समायोजित किया गया है।

4. अग्रिम/प्रावधान/वसूली

- (क) अग्रिमों को निष्पादनकारी/गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है और उन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण प्रतिमानों के अनुसार प्रावधान किए गए हैं।
- (ख) अग्रिमों में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान तथा तकनीकी रूप से बटटे खाते डाली गई राशि शामिल नहीं है।
- (ग) निष्पादनकारी आस्तियों हेतु प्रावधान को ‘अन्य देयताएं व प्रावधान’ शीर्ष के अंतर्गत दिखाया गया है।
- (घ) गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में हुई वसूली को पहले मूलधन और तत्पश्चात् ब्याज के प्रति विनियोजित किया गया है।

5 (क) अचल परिसंपत्तियां

- (i) अचल परिसंपत्तियों को उनकी हिस्टॉरिकल लागत पर संचित मूल्यहास घटाकर दिखाया गया है। इसमें ऐसी परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है। पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया गया है।
- (ii) परिसरों में भूमि का मूल्य शामिल है।
- (iii) किराए पर लिए गए परिसरों के फिक्सचरों व फिटिंग को अस्थायी ढांचा माना गया है।

(ख) अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास

(i) मूल्यहास :

- परिसंपत्तियों (पुनर्मूल्यांकित परिसम्पत्तियों सहित) पर मूल्यहास, आयकर नियम, 1962 में यथानिर्धारित दरों पर अपलिखित मूल्य पर प्रभारित किया गया है। इनमें कंप्यूटरों को शामिल नहीं किया गया है, जिनपर मूल्यहास का प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सीधी कटौती प्रणाली से 33.33% की दर से किया जाता है।
- आस्तियों की बिक्री/निपटान के वर्ष में मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया।
- आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यहास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि के प्रति समायोजित किया गया।
- (ii) जहां भूमि की कीमत भवन से अलग नहीं की जा सकती, वहां मूल्यहास का प्रावधान भवनों पर लागू दर से सम्मिश्र राशि पर किया गया।
- (iii) पट्टाधारी भूमि पर प्रदत्त प्रीमियम पट्टे की अवधि में परिशोधित किया गया।
- (iv) सॉफ्टवेयर पर किए गए व्यय को संबंधित वर्ष के राजस्व में प्रभारित किया गया है।

6. पट्टा लेन-देन

- (i) 1 अप्रैल, 2001 से पूर्व वित्तीय पट्टे के तहत दी गई आस्तियों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार किया गया है। ऐसी आस्तियों को अन्य अचल आस्तियों में शामिल किया गया है और इन पर

from Cost of acquisition.

- ii) Broken period interest paid / received on purchase /sale of securities is recognised as interest expense / income.
- iii) Prudential norms of RBI for non performing investment classification are applied to Investments and appropriate provisions are made in respect of non performing securities.
- iv) Profit/Loss on sale of any Investment in any category is taken to Profit & Loss Account. However, in case of profit on Sale of Investments under ‘Held to Maturity’ category, an equal amount is appropriated to Capital Reserve Account.

4. ADVANCES / PROVISIONS / RECOVERIES

- a) Classification of Advances into performing / non-performing assets and provisions thereon are made as per the Prudential Norms Prescribed by the Reserve Bank of India.
- b) Advances are net of provisions and technical write-offs made for non-performing Assets.
- c) Provision for performing Assets is shown under the head “Other Liabilities & Provisions”.
- d) Recoveries in Non-Performing Assets are appropriated first towards principal and thereafter towards interest.

5. a) FIXED ASSETS

- (i) Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation except in the case of assets which have been revalued. The appreciation on account of revaluation is credited to Revaluation Reserve.
- (ii) Premises include cost of land.
- (iii) Fixtures and fittings in rented premises are treated as Temporary Erection.

b) DEPRECIATION ON FIXED ASSETS:

(i) Depreciation:

- on assets (including revalued assets), is charged on the Written Down Value at the rates prescribed by the Income Tax Rules, 1962; except in respect of computers on which depreciation is provided on Straight Line Method @ 33.33% as per RBI guidelines;
- is not provided in the year of sale/disposal of asset;
- on the revalued portion of assets, is adjusted against the Revaluation Reserve
- (ii) Wherever the cost of land cannot be separately segregated, from buildings depreciation is provided on the composite amount, at the rate applicable to buildings.
- (iii) Premium paid on leasehold land is amortised over the period of lease.
- (iv) Software expenditure is charged to Revenue in the year of incurrence.

6. LEASE TRANSACTIONS:

- a) i) Accounting for assets given under finance lease before April 1, 2001, has been done as per the Guidance Note issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Such assets are included under Other Fixed



मूल्यहास का प्रावधान पट्टे की अवधि में समान रूप से किया गया है।

- (ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण प्रतिमानों के अनुसार, वित्त-पट्टे को निष्पादनकारी और गैर-निष्पादनकारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा तदनुसार प्रावधान किए गए हैं।

ख) वित्तीय पट्टे के तहत ली गई आस्तियों को, पट्टाकृत आस्तियों के उचित मूल्य और न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य में से जो भी कम हो, पर मान्यता दी गई है और इसे अन्य अचल आस्तियों में शामिल किया गया है।

पट्टा भुगतान का विनियोजन वित्त प्रभार और बकाया देयता के बीच किया गया है ताकि वित्त प्रभारों को पट्टे की अवधि में नियत आवधिक ब्याज दर पर हिसाब में लिया जा सके।

ग) वित्तीय पट्टे के अलावा अन्य पट्टे को परिचालनपरक पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

घ) पट्टा किराया और मूल्यहास को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस-19) के अनुसार हिसाब में लिया गया है।

7. स्टाफ सेवानिवृत्ति लाभ

क) बैंक ने कर्मचारी लाभों के संबंध में अपनी देयताओं की मान्यता के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 15 (संशोधित)—कर्मचारी लाभ को लागू किया है।

ख) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों — उपदान, पेंशन, छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी किराया रियायत तथा बीमारी की छुट्टी के प्रति देयताओं का निर्धारण अनुमानित यूनिट लागत पद्धति से वर्ष के अंत में, स्वतंत्र बीमांकनकर्ताओं द्वारा बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। इस प्रकार स्टाफ के उपदान और पेंशन संबंधी निर्धारित देयताओं की राशि बैंक के अनुमोदित न्यासों को अदा की गई है और अन्यो के लिए प्रावधान किया गया है।

ग) भविष्य निधि के संबंध में, अवधि के लिए अंशदान को खर्च के रूप में मान्यता दी गई है और लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

घ) लघु आवधिक कर्मचारी लाभों को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में गैर बट्टाकृत राशि पर खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हों।

8. आयकर

1. कर का प्रावधान चालू और आस्थगित करों दोनों के लिए किया गया है।

2. चालू कर का प्रावधान लागू कर दरों और कर नियमों का प्रयोग करते हुए कर योग्य आय पर किया गया है।

3. समय के परिवर्तन से होने वाली आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं, जिनका प्रत्यावर्तन बाद की अवधि में किया जा सकता हो, को तुलनपत्र की तारीख तक, लागू या बाद में लागू होने वाली कर दरों और कर नियमों का प्रयोग करते हुए मान्यता दी गई है।

4. आस्थगित कर आस्तियों को तब तक मान्यता नहीं दी गई जब तक कि इस बात की “वास्तविक निश्चितता” न हो कि पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति ऐसी अस्थगित कर आस्तियां प्राप्त की जाएंगी।

9. आस्तियों की अनर्जकता

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 28 — “आस्तियों की अनर्जकता” के अनुसार पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित अचल आस्तियों पर अनर्जक घाटे, यदि कोई हों, लिए गए हैं और इन्हें लाभ-हानि

Assets and depreciation thereon is provided equally over the lease period.

- ii) In accordance with prudential norms issued by RBI, finance leases are classified as performing and non-performing and accordingly provisions are made.

b) Assets taken under financial lease are recognized at the lower of the fair value of the leased assets and the present value of the minimum lease payments and included under Other Fixed Assets.

The lease payments are apportioned between finance charge and the outstanding liability so as to account for the finance charge at the constant periodic rate of interest over the lease period.

c) Lease other than financial lease is classified as operating lease.

d) Lease rental and depreciation are accounted for as per Accounting Standard (AS-19) issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

7. STAFF RETIREMENT BENEFITS

a) The Bank has applied Accounting Standard 15 (Revised) — Employees Benefits, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits.

b) Liability towards long term defined employee benefits — gratuity, pension, leave encashment, leave fare concession and sick leave are determined on actuarial valuation by independent actuaries at the year end by using Projected Unit Cost method. Liability so determined is funded, to the approved trusts of the bank, in the case of gratuity and pension and provided for in other cases.

c) In respect of Provident Fund, the contribution for the period is recognized as expense and charged to profit and loss account.

d) Short term employee benefits are recognized as an expense at an undiscounted amount in the profit and loss account of the year in which the related services are rendered.

8. INCOME TAX

a) Provision for Tax is made for both current and deferred taxes.

b) Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rates and tax laws.

c) Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet.

d) Deferred Tax Assets are not recognized unless there is ‘virtual certainty’ that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

9. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses, if any, on Fixed Assets including Revalued Assets, are recognized in accordance with Accounting Standard 28 “Impairment of Assets” issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India and charged to Profit

खाते में प्रभारित किया गया है।

10. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29—“प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां” के अनुसार बैंक ऐसे प्रावधानों को तभी मानता है जब ये पिछली घटना के परिणामतः वर्तमान दायित्व हों, यह संभावना है कि इन दायित्वों को पूरा करने के लिए आर्थिक लाभों का समावेश करते हुए संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता हो तथा जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता हो। वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को नहीं लिया गया है क्योंकि इससे ऐसी आय मान्यता हो सकती है जो कभी वसूल न हो सके।

11. निवल लाभ

निवल लाभ निम्नलिखित “प्रावधान एवं आकस्मिकताओं” को हिसाब में लेने के बाद निकाला गया है

- सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार आयकर और धन कर हेतु प्रावधान
- स्तरीय परिसंपत्तियों पर प्रावधान
- गैर—निष्पादनकारी अग्रिमों और विनिधानों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान
- बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण
- अन्य सामान्य अथवा आवश्यक प्रावधान

and Loss Account.

10. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per the Accounting Standard 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

11. NET PROFIT:

The Net Profit is arrived at after accounting for the following “Provisions and Contingencies”:

- Provision for taxes on income and wealth tax in accordance with statutory requirements.
- Provision on Standard Assets.
- Provision for Non Performing Advances and depreciation on Investments.
- Bad debts written off.
- Other usual and necessary provisions.